तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी/टी.ए./7322/2018/अलवर गंगासहाय बनाम गुरूदयाल	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित –

श्री वैभव कृष्ण पारिक, अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 10.06.2024

प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत मण्डल की एकलपीठ द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 2612/2010 बनवानी गंगासहाय बनाम गुरूदयाल में पारित निर्णय दिनांक 11–09–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस नजरसानी प्रार्थनापत्र पर सुनी।

विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी नजरसानीकर्ता ने नजरसानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि अभिलेख को प्रथम दृष्टया देखने से ही कानूनी त्रुटि स्वतः प्रकट है, क्योकि यह प्रकरण आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रकरम पर था। मृतक के वारिसों को पक्षकार बनाए बिना इस निगरानी का निस्तारण कर दिया, जो अभिलेख को प्रथम दृष्टया देखने से स्वतः ही प्रकट है। अतः उक्त आदेश को अपास्त कर विधिनुसार आदेश पारित किया जावे। आगे यह भी तर्क किया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद लम्बे समय से विचाराधीन है। अतः विचारण न्यायालय को निर्धारित समयावधि में वाद के निस्तारण के निर्देश प्रदान कराने की कृपा करावे।

विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ द्वारा एकतरफा में निर्णय पारित किया। उक्त एकतरफा निर्णय को निरस्त कराने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–2008 से खारिज कर दिया, इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दोनों पक्षों को सुनवाई कर वाद में आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया था। प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया और मंडल हाजा ने विधिसम्मत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी/टी.ए./7322/2018/अलवर गंगासहाय बनाम गुरूदयाल	नम्बर व तारीख

आदेश पारित किया है जिसमें प्रथम दृष्टया ही रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि नहीं होने से नजरसानी खारिज की जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णय का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में नजरसानी मीमों एवं बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, उन सभी तथ्यों एवं आक्षेपों बाबत् मण्डल हाजा की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–09–2018 में विस्तृत रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है। जहां तक विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन है कि निगरानी अंतिम निस्तारण के लिए निहित नहीं थी, इस संबंध में इतना ही कहना पर्याप्त है कि निगरानी के निर्णय दिनांक 11.09.2018 में दोनों अधिवक्ताओं की उपस्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर सुनकर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है और तत्समय उस निगरानी में उठाए गए बिन्दुओं को इस पुर्नविलोकन के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। निर्णय दिनांक 11.09.2018 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभिलेख पर देखने वाले ऐसी कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है जो आवेदनकर्ता को पुर्नविलोकन का आधार प्रदान करती हो, उपरोक्त हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत वाद की दायरी तिथि वर्ष 1989 थी अर्थात् उपरोक्त वाद वर्ष 1989 से लंबित है जिसमें सर्वप्रथम एकपक्षीय डिक्री पारित हुयी तत्पश्चात् आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के आवेदन प्रतिवादीगण का खारिज हुआ जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत हुई। अपील में आदेश 09 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध पूर्व में मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई जिसका निर्णय दिनांक 11.09.2018 को हुआ जिसके विरूद्ध यह पुनरावलोकन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। निर्णय दिनांक 11.09.2018 के अवलोकन से ऐसी कोई प्रथम दृष्टया रिकार्ड पर परिलक्षित होने वाली त्रुटि नहीं होने से नजरसानी खारिज किए जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है और विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ से यह अपेक्षा है कि प्रकरण वर्ष 1989 से लंबित होने से मूल वाद में दिन प्रति दिन की तारीख पेशी नियत करते हुए इसका निस्तारण 6 माह में करे।

पक्षकारान को जरिए अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के न्यायालय में दिनांक 18.07.2024 को उपस्थित रहे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी/टी.ए./7322/2018/अलवर गंगासहाय बनाम गुरूदयाल	नम्बर व तारीख
	निर्णय की एक प्रति मूल निगरानी पत्रावली में संलग्न की जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेश कुमार दड़िया)** सदस्य	